रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4452] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 4452] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का. आ. 5666(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) की तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, स्तंभ (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट खंड की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे ।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	कि.मी. में लंबाई
(1)	(2)	(3)
54	आईजोल-तुईपेंग खंड (मिजोरम राज्य में)	कि.मी. 8.000 से कि.मी. 380.000
51	आईजोल-तुईपेंग खंड (मेघालय राज्य में)	कि.मी. 85.000 से कि.मी. 95.000 और कि.मी. 101.000 से कि.मी. 145.000

[फा.सं. रारा-14013/20/2014-पीऍंडएम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S. O. 5666(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
54	Aizwal-Tuipang Section (In the State of Mizoram)	Km. 8.000 - Km.380.000
51	Aizwal-Tuipang Section (In the State of Meghalaya)	Km. 85.000 - Km.95.000 and Km. 101.000 - Km.145.000

[F. No. NH-14013/20/2014-P&M(pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का. आ. 5667(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 16 तथा 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 61.800 जोरबाट – शिलांग (बारापानी) तक खंड को छोड़कर], सं. 44, [(कि.मी. 69.200 से कि.मी. 173.200 (जोवई से मेघालय और असम सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 51 [कि.मी. 85.000 से कि.मी. 95.000 और कि.मी. 101.000 से कि.मी. 145.000 तक खंड को छोड़कर], सं. 62 और शिलांग बाइपास को छोड़कर [कि.मी. 61.800 (रारा-40) से कि.मी. 34.850 (रारा-44) और नई रारा सं. 127बी के उतने भाग जो मेघालय राज्य में अवस्थित हैं।	मेघालय राज्य सरकार"

17	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44ए, सं. 54 [कि.मी. 8.00 से कि.मी. 380.00 (आईजोल-तुईपेंग खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 54ए, सं. 54बी, नया रारा सं. 6, सं. 102बी, 302, 306ए और नया रारा सं. 502ए के उतने भाग मिजोरम राज्य में अवस्थित हैं।	मिजोरम राज्य सरकार”

[फा.सं. एनएच-14013/20/2014-पीएंडएम(पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.5569 (अ), तारीख 29.10. 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S. O. 5667(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 16 and 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“16	So much of National Highways No. 40 [excluding from Km. 0.000 to Km. 61.800 of Jorabat - Shillong (Barapani) section], No.44 [excluding from km. 69.200 to km. 173.200 (Jowai to Meghalaya and Assam Border Section)], **No. 51 [excluding from km. 85.000 to km. 95.000 and from km. 101.000 to km. 145.000]**, No. 62 and also excluding Shillong bypass [from Km. 61.800 (NH-40) to Km. 34.850 (NH-44)] and new NH No. 127B as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya”.
17	So much of National Highways No.44A, **No. 54 [excluding from km 8.00 to km 380.00 (Aizwal-tuipang Section)]**, No. 54A, No.54B, New NH No. 6, No. 102B, 302, 306A and new NH No. 502A as are situated within the State of Mizoram.	State Government of Mizoram”.

[F. No. NH-14013/20/2014-P&M (pt.)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 5569(E), dated the 29.10.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.13 16:48:55 +05'30'